UPM010041432025

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—02, मुरादाबाद,

उपस्थित— कृष्ण कुमार सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(I.D. No.-U.P. 6386)

सत्र परीक्षण सं0—644/2025

राज्य ——— अभियोगी

बनाम

मौ0 वसी पुत्र मौ0 यासीन, निवासी—रहमत नगर, गली नं0—05, सुनहरी मस्जिद के पास, थाना—कटघर, जनपद—मुरादाबाद,

——— अभियुक्त

अपराध सं0—132/2025,
धारा—8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट,
थाना—कटघर, जनपद—मुरादाबाद,

निर्णय

1. अभियुक्त **मौ0 वसी** का परीक्षण, **मुकदमा अपराध संख्या—132/2025, सत्र परीक्षण संख्या—644/2025, धारा—8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना—कटघर, जनपद—मुरादाबाद** के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् उक्त प्रकरण का विचारण प्रारम्भ हुआ।

अभियोजन कथानक—

2. वादी मुकदमा उ0नि0 नीरज पाल सिंह द्वारा सम्बन्धित थाना में दी गयी तहरीर/फर्द बरामदगी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि—

दिनांक 06.03.2025 को मैं 30 नि0 श्री नीरजपाल सिंह मय हमराह हे०कां० 685 नवीचन्द्र जोशी व लैपर्ड 14 कर्मचारीगण हे०कां० 688 मोहित कुमार व कां0 465 मनोज कुमार के वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित अपराधी व विवेचना मरजुआत मय विवेचना किट अपने निजी वाहन से थाना हाजा से रपट नं0 47 समय 11:00 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था रोक. थाम जुर्म जरायम चैकिंग सदिग्ध व्यक्ति व्यक्ति/वाहन हेतु रवाना होकर चौकी क्षेत्र दससराय में मामूर थो। जब हम पुलिस वाले गस्त करते हुये नफीस के ढोल के पास मे पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिलिंग वाले मकानों के बीच में खाली पड़े प्लाट में चरस बेच रहा है। जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों द्वारा आपस मे एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है तथा जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो गवाह

Digitally signed by KRISHNA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.06 16:25:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। मैं उ० नि० मय हमराहीयान व मुखबिर के अपने वाहनो से बताये स्थान के पास आये तथा वाहन खड़े किये तो मुखबिर ने आड से देखकर बताया कि सामने से जो व्यक्ति नीले रंग की जीन्स व काले रंग की हुड पहने बैठा है। इसके पास चरस है बताकर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले दबे पांव उस व्यक्ति के पास पहुँचे तो उक्त व्यक्ति हम पुलिस वालों को अचानक देखकर हड़बड़ाया हम पुलिस वालो ने उक्त व्यक्ति को बिना भागने का मौका दिये घेर घोटकर प्लाट के अन्दर ही समय करीब 12.15 बजे पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए पूछा की तेरे पास क्या है तो उसने बताया की साहब मेरा नाम मौहम्मद यसी पुत्र मौहम्मद यासीन निवासी रहमतनगर गली नं0 05 सुनहरी मस्जिद के पास थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 33 वर्ष है, मेरे पास चरस है। जिसे मैं किसी को देने जा रहा था उक्त व्यक्ति को उसके अधिकार कि एनडीपीएस एक्ट में जामा तलाशी लेने का अधिकार किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट को है, आप चाहे तो अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिक. ारी/मजिस्ट्रेट से लिवा सकते हो, से अवगत कराया गया तो पकड़े गये व्यक्ति बता रहा है कि आप ही मेरी तलाशी ले लो। इसके बाद मुझ उ० नि० द्वारा सहमति पत्र अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की सहमति पत्र तैयार किया गया। जिस पर पकडे गये व्यक्ति मौहम्मद वसी उपरोक्त से हस्ताक्षर कराये गये। मुझ उ०नि० द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कटघर के सीयूजी न0–9454401541 पर समय 12.21 बजे सूचना दी गई। इसके पश्चात मौहम्मद वसी उपरोक्त की तलाशी ली गयी तो पहनी काले हुड की दाहिनी जेब से एक काली पन्नी मिली जिसके बारे में पूछने पर मौहम्मद वसी उपरोक्त द्वारा बताया कि साहब इसमें चरस है पन्नी को खोलकर देखा गया तो उसमे बत्ती नुमा काले रंग का चरस नाजायज बरामद हुआ। बरामद चरस को विवेचना किट से इलैक्ट्रोनिक तराजू निकालकर मौके पर तौला गया तो पन्नी सहित वजन 150 ग्राम पाया गया। बरामद चरस के सम्बन्ध में पूछताछ पर बताया कि यह चरस है अभी मैं यहां किसी को देने के लिये लाया था आते ही आ. पने मुझे पकड लिया। मौके पर ही बरामद नाजायज चरस से 30 ग्राम चरस वतौर नमूना लेकर पास पडी सफेद पन्नी मे लेकर सफेद कपडे में सिलकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा शेष 120 ग्राम चरस को उसी काली रग की पन्नी में सफेद कपड़े में रखकर मौके पर सिलकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा मौके पर दोनो नमूना मुहर तैयार किये गये। अभियुक्त मौहम्मद वसी उपरोक्त का यह जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की हद को पहुँचता है। अभियुक्त मौहम्मद वसी को इसके जुर्म से अवगत कराते हुये 12.35 बजे हस्व कायदा हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी व कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव राष्ट्रीय मानवा. धिकार आयोग के आदेश व निर्देशों का पालन किया व कराया गया। गिरफ्तारी व

बरामदगी की वीडियोग्राफी हे० का0 685 नवीनचन्द जोशी द्वारा अपने मोबाईल से की गयी। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी आने जाने वाले जनता के व्यक्तियो से गवाही के लिये कहा भलाई बुराई के कारण बिना नाम पता बताये चले गये गिरफ्तारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत निर्देशो का पालन किया गया तथा गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया। फर्द मौके पर मुझ उ०नि० द्वारा स्वयं लैपटाप पर टाईप कर तैयार की गयी। फर्द हमराहीयान को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान हेतु हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है। गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर द्वारा उचित माध्यम अभियुक्त के परिजनों को दी जायेगी।

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद में मुकदमा अपराध सं0–132/2025, धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मौ0 वसी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई, जिसका खुलासा जी.डी. में किया गया।

<u>विवेचना–</u>

4. प्रकरण की विवेचना विवेचक द्वारा सम्पादित की गई, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहों के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया, सहमति पत्र बनाया गया, अभियुक्त का गिरफ्तारी मीमो बनाया गया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गयी व अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त मौ0 वसी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण में आरोप पत्र प्राप्त होने पर अभियुक्त को तलब कर उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–207 के अन्तर्गत आवश्यक प्रपत्र दिये गये।

<u>आरोप–</u>

6. प्रकरण प्राप्त होने पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, द्वारा अभियुक्त **मौ0 वसी** के विरूद्ध **एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–8/20** के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2025 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया तथा परीक्षण की याचना की गयी।

<u>अभियोजन साक्ष्य (मौखिक)–</u>

7. अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित 01 साक्षी को परीक्षित कराया गया–

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
पी0डब्लू0–1	उ0नि0 नरेन्द्र कुमार

8. तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

<u>अभियोजन साक्ष्य (अभिलेखीय)–</u>

कम सं0	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शकर्ता/तस्दीककर्ता का नाम	प्रदर्श संख्या
1	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 नरेन्द्र कुमार	**प्रदर्श क–1**
2	कायमी मुकदमा जी0डी0	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 नरेन्द्र कुमार	**प्रदर्श क–2**
3	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 नरेन्द्र कुमार	
4	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 नरेन्द्र कुमार	
5	सहमति पत्र	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 नरेन्द्र कुमार	
6	एफ0एस0एल0 रिपोर्ट	पी0डब्लू0–1 उ0नि0 नरेन्द्र कुमार	

10. अभियुक्त **मौ0 वसी** का स्वीकारोक्ति का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कथन किया गया कि उसके विरुद्ध विरचित आरोप सही है। वह अपना जुर्म बिना किसी भय व दबाव के अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहा है। उससे गलती हो गई है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस को साबित करने हेत कुल 01 साक्षी उ0नि0 नरेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से प्रस्तुत प्रकरण की चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क–1** व कायमी मुकदमा जी0डी0 को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

12. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया, तद्नुसार निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

<u>निष्कर्ष</u>

13. प्रस्तुत के तथ्यों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के प्रकाश में न्यायालय को अन्तर्गत **<u>धारा–354ख दण्ड प्रक्रिया संहिता,</u>** निम्न बिन्दु पर विचार करना है–

> क्या दिनांक 06.03.2025 को समय 12:35 बजे, थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, स्थान–सीलिंग वाले मकानों के बीच में, खाली पड़े प्लॉट से आपको गिरफ्तार किया गया तथा आपके कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद की गयी, जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था, जो कि **एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–8/20** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ?

14. वादी मुकदमा उ0नि0 नीरज पाल सिंह द्वारा सम्बन्धित थाने पर दी गयी तहरीर के अनुसार दिनांक 06.03.2025 को मैं 30 नि0 श्री नीरजपाल सिंह मय हमराह हे० कां० 685 नवीचन्द्र जोशी व लैपर्ड 14 कर्मचारीगण हे० कां० 688 मोहित कुमार व कां0 465 मनोज कुमार के वास्ते देख रेख शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित अपराधी व विवेचना मरजुआत मय विवेचना किट अपने निजी वाहन से थाना हाजा

से रपट नं0 47 समय 11.00 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग सदिग्ध व्यक्ति व्यक्ति/वाहन हेतु रवाना होकर चौकी क्षेत्र दससराय में मामूर थो। जब हम पुलिस वाले गस्त करते हुये नफीस के ढोल के पास मे पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिलिंग वाले मकानों के बीच में खाली पड़े प्लाट में चरस बेच रहा है। जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों द्वारा आपस मे एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है तथा जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो गवाह भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। मैं उ० नि० मय हमराहीयान व मुखबिर के अपने वाहनो से बताये स्थान के पास आये तथा वाहन खड़े किये तो मुखबिर ने आड से देखकर बताया कि सामने से जो व्यक्ति नीले रंग की जीन्स व काले रंग की हुड पहने बैठा है। इसके पास चरस है बताकर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले दबे पांव उस व्यक्ति के पास पहुँचे तो उक्त व्यक्ति हम पुलिस वालों को अचानक देखकर हड़बड़ाया हम पुलिस वालो ने उक्त व्यक्ति को बिना भागने का मौका दिये घेर घोटकर प्लाट के अन्दर ही समय करीब 12.15 बजे पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए पूछा की तेरे पास क्या है तो उसने बताया की साहब मेरा नाम मौहम्मद यसी पुत्र मौहम्मद यासीन निवासी रहमतनगर गली नं0 05 सुनहरी मस्जिद के पास थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 33 वर्ष है, मेरे पास चरस है। जिसे मैं किसी को देने जा रहा था उक्त व्यक्ति को उसके अधिकार कि एनडीपीएस एक्ट में जामा तलाशी लेने का अधिकार किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट को है, आप चाहे तो अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट से लिवा सकते हो, से अवगत कराया गया तो पकड़े गये व्यक्ति बता रहा है कि आप ही मेरी तलाशी ले लो। इसके बाद मुझ उ० नि० द्वारा सहमति पत्र अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की सहमति पत्र तैयार किया गया। जिस पर पकडे गये व्यक्ति मौहम्मद वसी उपरोक्त से हस्ताक्षर कराये गये। मुझ उ०नि० द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कटघर के सीयूजी न0–9454401541 पर समय 12.21 बजे सूचना दी गई। इसके पश्चात मौहम्मद वसी उपरोक्त की तलाशी ली गयी तो पहनी काले हुड की दाहिनी जेब से एक काली पन्नी मिली जिसके बारे में पूछने पर मौहम्मद वसी उपरोक्त द्वारा बताया कि साहब इसमें चरस है पन्नी को खोलकर देखा गया तो उसमे बत्ती नुमा काले रंग का चरस नाजायज बरामद हुआ। बरामद चरस को विवेचना किट से इलैक्ट्रोनिक तराजू निकालकर मौके पर तौला गया तो पन्नी सहित वजन 150 ग्राम पाया गया। बरामद चरस के सम्बन्ध में पूछताछ पर बताया कि यह चरस है अभी मैं यहां किसी को देने के लिये लाया था आते ही आपने मुझे पकड लिया। मौके पर ही बरामद नाजायज चरस से 30 ग्राम चरस वतौर नमूना लेकर पास पडी सफेद पन्नी मे लेकर सफेद कपडे में सिलकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा शेष 120 ग्राम चरस को उसी काली रग की पन्नी में सफेद कपड़े में रखकर मौके पर सिलकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा मौके पर दोनो नमूना मुहर तैयार किये गये। अभियुक्त मौहम्मद वसी उपरोक्त का यह जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की हद को

पहुँचता है। अभियुक्त मौहम्मद वसी को इसके जुर्म से अवगत कराते हुये 12.35 बजे हस्व कायदा हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी व कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश व निर्देशों का पालन किया व कराया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी की वीडियोग्राफी हे० का0 685 नवीनचन्द जोशी द्वारा अपने मोबाईल से की गयी। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी आने जाने वाले जनता के व्यक्तियो से गवाही के लिये कहा भलाई बुराई के कारण बिना नाम पता बताये चले गये गिरफ्तारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत निर्देशो का पालन किया गया तथा गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया। फर्द मौके पर मुझ उ०नि० द्वारा स्वयं लैपटाप पर टाईप कर तैयार की गयी। फर्द हमराहीयान को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान हेतु हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है। गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर द्वारा उचित माध्यम अभियुक्त के परिजनों को दी जायेगी।

15. वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना—कटघर, मुरादाबाद में अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ, जिसका खुलासा जी0डी0 में किया गया।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मौ0 वसी द्वारा संस्वीकृति प्रार्थना पत्र द्वारा जेलर, जिला जेल, मुरादाबाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह अपराध सं0—132/2025, धारा—8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना—कटघर, जिला—मुरादाबाद में दिनांक 13.07.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह अत्यंत गरीब बेसहारा व्यक्ति है। वह स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। अतः जुर्म इकबाल के आधार पर उसे कम—से—कम दण्ड से दण्डित कर वाद का निस्तारण किया जाए।

17. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मौ0 वसी ने अपने द्वारा कारित किये गये अपराध की अभिस्वीकृति की है। अपने अपराध की स्वीकृति के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया है कि वह अत्यंत गरीब बेसहारा व्यक्ति है। वह स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति बयान अन्तर्गत धारा—313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप सही है एवं वह अपनी स्वेच्छा से बिना किसी डर व दबाव के अपने जुर्म की संस्वीकृति कर रहा है। वह अपनी इच्छा से व बिना दबाव के अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम अभियुक्त दिनांक 06.03.2025 से दिनांक 09.03.2025 तक अर्थात् 23 दिन तक जिला कारागार में निरुद्ध रहा। वर्तमान में अभियुक्त दिनांक 31.07.2025 अब तक जिला कारागार में निरुद्ध है। इस प्रकार, अभियुक्त लगभग 08 माह व 14 दिन तक जिला कारागार में निरुद्ध रहा है।

18. न्यायालय द्वारा अभियुक्त मौ0 वसी द्वारा योजित जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र व उसका जुर्म स्वीकारोक्ति बयान अन्तर्गत धारा—313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किये जाते समय अभियुक्त से सर्वप्रथम यह पूछा गया कि क्या वह अपना जुर्म बिना किसी भय व दबाव के अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहा है, तब अभियुक्त द्वारा उत्तर दिया गया कि जी हां, मैं

अपनी इच्छा से व बिना दबाव के अपना जुर्म इकबाल कर रहा हूं। न्यायालय द्वारा अभियुक्त से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या आपको पता है कि आपकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आपको प्रस्तुत प्रकरण में दण्डित किया जा सकता है, तो अभियुक्त ने उत्तर दिया कि जी हां, मुझे जानकारी है। अभियुक्त द्वारा यह भी कहा गया कि मुझसे गलती हो गयी है।

19. चूंकि अभियुक्त द्वारा स्वयं अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में भी अपना जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त को बताया गया कि विधि अनुसार उस पर अपने जुर्म इकबाल किये जाने के लिए किसी प्रकार से दबाव नहीं दिया जा सकता है। यह भी अवगत कराया गया कि उसके जुर्म इकबाल किये जाने के फलस्वरूप उसको विधि द्वारा उपबन्धित कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है एवं अभियुक्त अपने जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर वापस भी ले सकता है। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह स्वेच्छा तथा बिना किसी दबाव के जुर्म स्वीकारोक्ति करना चाहता है तथा उसने अपराध स्वीकृति के परिणाम के विषय में भली–भांति सोच–समझ लिया है। प्रकरण में पी0डब्लू0–1 उ0नि0 नरेन्द्र कुमार द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में अभियोजन कथानक को भली–भांति साबित किया गया है।

20. उपरोक्त समस्त विवेचनोपरान्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त मौ0 वसी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** को युक्तियुक्त ढंग से व संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त मौ0 वसी अन्तर्गत **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मौ0 वसी को **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त पूर्व से न्यायिक हिरासत में जिला–कारागार, मुरादाबाद में निरुद्ध है। अभियुक्त को दण्ड की अवधि पर सुने जाने के लिए पत्रावली कुछ समय उपरान्त पेश हो।

दिनांक–06.03.2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
(ID No.-U.P. 6386)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–02, मुरादाबाद

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुई। अभियुक्त **मौ0 वसी** न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को दण्डादेश के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को कम–से–कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को अधिक–से–अधिक दण्ड से दण्डित किया जाए।

प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में भी अपना जुर्म स्वीकार किया है। **प्रस्तुत मामले में अभियुक्त लगभग 08 माह व 14 दिन तक जिला कारागार में निरुद्ध रहा है।** प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध की प्रकृति व उसके जुर्म स्वीकार करने के तथ्यों के दृष्टिगत अभियुक्त **मौ0 वसी** को **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अन्तर्गत **9 माह** के कारावास **व मुव0 3,000/– रुपये के अर्थदण्ड** (अर्थदण्ड न देने की स्थिति में 05 दिन के अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया जाना न्यायोचित व युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–132/2025, सत्र परीक्षण संख्या–644/2025, सरकार बनाम मौ0 वसी में **अभियुक्त मौ0 वसी** को **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अपराध में **9 माह के कारावास** व **मुव0 3,000/– रूपये के अर्थदण्ड** (अर्थदण्ड न देने की स्थिति में 05 दिन के अतिरिक्त कारावास) से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा जिला कारागार में व्यतीत की गई अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित होगी।

अभियुक्त का सजायाफ्ती वारन्ट तैयार कर, सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जाए।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक–06.03.2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
(ID No.-U.P. 6386)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–02, मुरादाबाद

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित, हस्ताक्षरित व उद्घोषित किया गया।

दिनांक–06.03.2026

(कृष्ण कुमार सिंह)
(ID No.-U.P. 6386)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–02, मुरादाबाद